न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1212–तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 24–5–2003 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण क्रमांक 170–ए/2002–03

अजीत सिंह पुत्र खुमान सिंह
निवासी छोटी बजरिया बीना
जिला सागर, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– भगवान सिंह पुत्र मिश्रीलाल
2– नत्थूसिंह पुत्र श्यामलाल
निवासी ग्राम करारिया
तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री सुभाष सक्सैना)

आ दे श

(दिनांक 3 फ़रवरी, 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 170–ए/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 24–5–2003 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि श्रीमती रामकुँवर पत्नि स्व. ज्ञान सिंह ठाकुर के नाम ग्राम ऐरन में भूमि सर्वे कमांक 10 रकबा 2.852 हैक्टर थी जिसके व्दारा खुमान सिंह पुत्र मंगल सिंह के हित में बसीयत की गई। खुमान सिंह की मृत्यु 1986

में हुई जिन्होंने एक बसीयत आवेदक के हित में की। परन्तु उक्तांकित भूमि पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 54 पर आदेश दिनांक 23-4-1981 से अनावेदक का नामान्तरण किया गया। आदेश दिनांक 23-4-1981 के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर जिला विदिशा के समक्ष 23-4-2002 को अर्थात 22 वर्ष के अन्तर से अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ग्यारपुर ने अपील प्रकरण क्रमांक 32/2001-02 मे पारित आदेश दिनांक 27-11-2002 से अपील समयवाह्य पाकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 170-ए/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 24-5-2003 से अपील अमान्य कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27-11-02 को स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से प्रकरण में यह देखना है कि अनुविभागीय अधिकारी, ग्याररसपुर ने आदेश दिनांक 27-11-2002 से अपील समयवाह्य मानकर निरस्त करने में त्रृटि की है अथवा नहीं ? अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नामान्तरण आदेश दिनांक 23-4-1981 के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर के समक्ष 23-4-2002 को अर्थात 22 वर्ष वाद अपील प्रस्तुत की है । आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि का स्वत्व बसीयत के आधार पर आवेदक के पिता खुमान सिंह को अंतरित हुआ एंव खुमान सिंह व्दारा की गई बसीयत से आवेदक को अंतरित हुआ

है एंव उस समय आवेदक अल्पवयस्क था एंव बयस्क होने पर उसके व्दारा अपील की गई है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत होना मानकर निरस्त करने में त्रृटि की है। विचार योग्य है कि जब भूमिस्वामिनी महिला श्रीमती रामकुॅवर पत्नि स्व. ज्ञान सिंह ठाकुर ने वादग्रस्त भूमि की बसीयत खुमान सिंह को कर दी थी एंव ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 54 पर आदेश दिनांक 23-4-1981 से अनावेदक का वादग्रस्त भूमि पर नामांत्रण हुआ है अर्थात भूमिस्वामिनी महिला रामकुंवर अप्रेल 1981 के पूर्व मृत हुई एंव आवेदक व्दारा खुमान सिंह की मृत्यु 1986 में होना बताया है तब खुमान सिंह अपने जीवनकाल में बसीयत रखे क्यों बैठा रहा एंव उसके व्दारा महिला रामकुॅवर के मरने के वाद नामान्तरण की कार्यवाही निजहित में क्यों नहीं कराई - शॅकास्पद होकर विचारणीय है और इन्हीं कारणों से आवेदक व्दारा वादग्रस्त भूमि में बसीयत के आधार पर स्वत्व पहुंचना बताकर नामान्तरण की मांग करना वाद की शोच है । वैसे भी स्वत्व के मामले पर विचार करने एंव वाद विनिश्चित करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नामान्तरण आदेश दिनांक 23-4-1981 के विरूद्ध आवेदक ने दिनांक 23-4-2002 को अर्थात 22 वर्ष के अंतर पर अपील प्रस्तुत की।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 44 एंव 47 - अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 44 एंव 47 - समय बर्जित अपील - विलम्ब माफी हेतु आवेदन - आदेश की जानकारी का सही श्रोत नहीं दर्शाया गया - प्रत्येक दिन के विलम्ब के विषय में स्पष्टीकरण नहीं - विलम्ब माफ नहीं किया जायेगा।

विचाराधीन प्रकरण में आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर को समाधान नहीं कराया है कि वह कब वालिग हुआ है एंव उसकी जन्मतिथि क्या है। उक्त कारणों से अनुविभागीय अधिकारी ग्यारपुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 27-11-2002 एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा पारित आदेश दिनांक 24-5-2003 में दिये गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 170-ए/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 24-5-2003 एंव अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर व्दारा अपील क्रमांक 32/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 27-11-2002 विधिवत् होने से स्थिर रखे जाते हैं एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर